जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, हजारीबाग।

जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, हजारीबाग के अधीन केन्द्र प्रायोजित योजना महात्मा गॉधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) की योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु **अनारक्षित–42, पिछड़ा वर्ग–09, अत्यंत पिछड़ा वर्ग–12, अनुसूचित जाति–16 एवं अनुसूचित जनजाति–04** ग्राम रोजगार सेवक के रिक्त पदों पर नियुक्ति की जानी है। इस पद पर नियुक्ति पूर्णतया संविदा के आधार पर होगी।

उपर्युक्त पद पर अभ्यर्थियों की मेधा सूची तैयार करने हेतु आवश्यक योग्यता / अहर्ताधारी व्यक्तियों से विहित प्रपत्र में आवेदन–पत्र आमंत्रित किया जाता है।

रिक्त पदों की संख्या : 83*

ग्राम रोजगार सेवक को मासिक परिलब्धि 6,050.00 रूपये देय है। **प्रत्येक माह 0 से 4000 तक मानव दिवस सृजित करने पर सृजित मानव दिवस की मजदूरी पर 0.3 प्रतिशत अतिरिक्त मानदेय अनुमान्य होगा तथा 4000 से अधिक सृजित मानव दिवस की मजदूरी पर 0.4 प्रतिशत अतिरिक्त मानदेय अनुमान्य होगा परन्तु कुल मासिक संविदा राशि (एक मुश्त संविदा राशि + अतिरिक्त मानदेय) अधिकतम 10,000/– रू0 तक ही देय होगा।**

01. शैक्षणिक योग्यता :

a. न्यूनतम : सरकारी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय / संस्थान से इंटरमीडिएट या मैट्रिक परीक्षा के पश्चात् किसी भी ट्रेड में आई0टी0आई0, मैट्रिक के पश्चात आई0टी0आई0 की स्थिति में आई0टी0आई0 के प्राप्तांक प्रतिशत को इन्टरमीडिएट प्राप्तांक के प्रतिशत के समतुल्य समझा जायेगा।

b. अतिरिक्त :

(क) सरकारी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय / संस्थान में किसी भी संकाय में स्नातक प्रतिष्ठा / सामान्य स्नातक / बी0सी0ए0 तथा किसी विषय में स्नातकोत्तर

(ख) स्नातक प्रतिष्ठा के प्रतिशत प्राप्तांक को 5 अंक का अधिभार देते हुए स्नातक की कोटि में अंकित किया जायगा। सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थान से प्राप्त पी0जी0डी0सी0ए0 / पी0जी0डी0बी0ए0 / पी0जी0डी0आर0डी0 / को स्नातकोत्तर की श्रेणी में ले जाने के लिए उसके प्राप्तांक प्रतिशत में 5 घटा दिया जायगा।

(ग) अभ्यर्थियों का योग्यता स्कोर का निर्धारण इंटरमीडिएट, स्नातक तथा स्नात्तकोत्तर योग्यताओं के कुल औसत प्रतिशत प्राप्तांक के आधार पर किया जायेगा।

02. आयु सीमा :– दिनांक 01.10.2017 को न्यूनतम 18 वर्ष होनी चाहिए।

(क) अनारक्षित	35 वर्ष
(ख) पुरूष पिछड़ा / अत्यंत पिछड़ा वर्ग	37 वर्ष
(ग) महिला (पिछड़ा / अत्यंत पिछड़ा)	38 वर्ष
(घ) अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति (पुरूष एवं महिला)	40 वर्ष

03. आरक्षण : अनारक्षित / पिछड़े / अत्यंत पिछड़े वर्गों एवं अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण रोस्टर कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड रॉची के संकल्प संख्या 2020 दिनांक 09.4.2010 द्वारा हजारीबाग जिला के निर्धारित आरक्षण नियमों के अनुसार निर्धारित किया जायेगा।

04. नियुक्ति में कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड रॉची के संकल्प संख्या 3198 दिनांक 14.8.2016 द्वारा लागू स्थानीयता निति लागू होगी।

05. यदि कोई कार्यरत कर्मी नियुक्ति से स्वतः मुक्त होना चाहेगा, तो उसके अपने नियंत्री पदाधिकारी के माध्यम से नियुक्ति पदाधिकारी को इसकी सूचना एक माह पूर्व देनी होगी या एक माह माह की परिलब्धि जमा करनी होगी।

06. किसी कार्यरत कर्मी की सेवा की आवश्यकता नहीं रहने की स्थिति में उसे एक माह की लिखित सूचना या एक माह की परिलब्धि देकर सेवा समाप्त कर दी जायेगी।

07. कार्य असंतोषजनक पाये जाने पर कार्यरत कर्मी की सेवा नियुक्ति पदाधिकारी के द्वारा किसी भी समय समाप्त कर दी जायेगी।

08. प्रारभिक चरण में नियुक्ति एक वर्ष के लिए की जायेगी तथा इस कालावधि के पूर्ण होने के पूर्व नियुक्ति के लिए गठित नियुक्ति समिति के द्वारा उनके कार्यों की समीक्षा की जायेगी। कार्य संतोषप्रद पाये जाने पर अगल एक वर्ष के लिए संविदा के आधार पर नियुक्ति का नवीकरण किया जायेगा। तत्पश्चात राज्य सरकार के द्वारा समय–समय पर लिये गये निर्णय के अनुरूप यदि उनके सेवाओं की आवश्यकता बनी रहेगी तो नियुक्ति समिति द्वारा ही कार्य की समीक्षा के पश्चात उपयुक्त पाये जाने पर वार्षिक रूप से नियुक्ति का नवीकरण किया जा सकेगा।

09. अभ्यर्थी द्वारा किसी एक जिला में ही आवेदन दिया जा सकेगा, उसे आवेदन के साथ यह शपथ पत्र देना होगा कि झारखण्ड राज्य के किसी अन्य जिला में इस पद हेतु आवेदन समर्पित नहीं किया गया है। यदि उनका यह शपथ पत्र कभी भी गलत पाया गया तो उनकी नियुक्ति स्वतः रद्द समझी जायेगी तथा उनके विरूद्ध कानूनी कार्रवाई भी की जायेगी।

10. ग्राम रोजगार सेवक के पद पर चयनित अभ्यर्थियों के लिए एक प्रशिक्षण प्राप्त करना तथा प्रशिक्षण के अन्त में यदि कोई परीक्षा आयोजित की जाती है तो उसमें उर्तीर्ण होना अनिवार्य होगा। उतीर्णता का मापदंड राज्य सरकार या नियुक्ति /नियंत्री पदाधिकारी द्वारा पृथक आदेश से निर्धारित किया जा सकेगा। सफलतापूर्वक प्रशिक्षण प्राप्त करने के पश्चात ही चयनित अभ्यर्थियों को अंतिम रूप से नियुक्त समझा जायेगा एवं सक्षम पदाधिकारी द्वारा उनकी पदस्थापना की जायेगी। प्रशिक्षण अवधि एवं स्थल निर्धारण नियुक्ति पदाधिकारी द्वारा किया जायेगा।

11. आवेदन पत्र के साथ सभी प्रकार की शैक्षणिक योग्यता के प्रमाण पत्रों / अंक पत्रों की छाया प्रति स्व–अभिप्रमाणित कर एवं जाति प्रमाण पत्र अगर दावा करते हैं तो संलग्न करना आवश्यक है। मूल प्रति सत्यापन के समय प्रस्तुत करना होगा।

आवेदन पत्र दिनांक 20.10.2017 के अपराह्न 5 बजे तक निबंधित डाक/ स्पीड पोस्ट द्वारा जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, हजारीबाग में जमा किया जायेगा।

(* संख्या में परिवर्तन हो सकता है)

उपायुक्त,
हजारीबाग।

आवेदन पत्र का प्रपत्र

हाल का पासपोर्ट साइज फोटो

1. अभ्यर्थी का नाम : ....
2. पिता / पति का नाम : ....
3. स्थायी पता : ....
4. वर्तमान पता : ....
5. जन्म तिथि : ....
6. लिंग : पुरूष / महिला : ....
7. कोटि : अनारक्षित / पिछड़ी जाति / अत्यन्त पिछड़ी जाति / अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति (जो लागू नहीं काट दें।)
8. शैक्षणिक योग्यता :

क्र0	परीक्षा का नाम	कुल प्राप्तांक	विश्वविद्यालय / संस्थान का नाम	प्राप्तांक का प्रतिशत

9. अनुभव का विवरणी एवं प्रमाण पत्र :

उपर्युक्त सभी विवरणी मेरी जानकारी में सत्य है यदि कोई त्रुटि होती है तो मैं इसके लिए स्वयं जिम्मेवार हूँ।

आवेदक का हस्ताक्षर